न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 47 / 2017 / बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के राजस्व वाद संख्या 04 / 2016 निर्णय दिनांक 09.07.2016 (संशोधित डिक्री 14.07.2016)।

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. भंवराराम पुत्र पूनमाराम 2. रमकु पत्नी पूनमाराम जाति माली निवासी गुड़ालानी तहसील गुड़ामालानी	बनाम	1.गोकलाराम पुत्र मानाराम 2.भोमाराम पुत्र नीम्बाराम 3.जोगाराम पुत्र प्रहलादराम 4.मेघाराम पुत्र प्रहलादराम 5.सती बेवा प्रहलादराम जाति जाति माली निवासी मौखावा 6.शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुड़ामालानी 7.राजस्थान राज्य जरीये भूमिपति तहसीलदार गुड़ामालानी।

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 49 / 2017 / बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के राजस्व वाद संख्या 04 / 2016 निर्णय दिनांक 19.07.2016।

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. भंवराराम पुत्र पूनमाराम 2. रमकु पत्नी पूनमाराम जाति माली निवासी गुड़ालानी तहसील गुड़ामालानी	बनाम	1.गोकलाराम पुत्र मानाराम 2.भोमाराम पुत्र नीम्बाराम 3.जोगाराम पुत्र प्रहलादराम 4.मेघाराम पुत्र प्रहलादराम 5.सती बेवा प्रहलादराम जाति जाति माली निवासी मौखावा 6.शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुड़ामालानी 7.राजस्थान राज्य जरीये भूमिपति तहसीलदार गुड़ामालानी।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

उपस्थिति

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री महेन्द्र कुमार रामावत रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दिनांकः— 11.03.2019

Scanned by CamScanner

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा मौखावा तहसील गुड़ामालानी में रेस्पोडेंट/वादी संख्या 1 एवं अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 2 से 5 के पूर्वजों के नाम से खेत खसरा संख्या 107 रकबा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 122 रकबा 31.09 बीघा, खसरा संख्या 244 रकबा 31.16 बीघा व खेत खसरा संख्या 245 रकबा 29.14 बीघा के खेत आये हुए थे। खेतों में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा है। वादी के उपरोक्त हिस्सा की भूमि बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड अलग कर इस आशय की खातेदारी घोषित कर बंटवारा किया जाने का वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण के नाम से सम्मन जारी किया गया परन्तु अपीलांटगण को हस्तगत वाद का कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ जिस कारण अपीलांटगण न्यायालय में उपस्थित नही हो सका। न ही अपनी ओर से पैरवी हेतु वकील नियुक्त किया गया। अपीलांटगण को सुनवाई का सुमचति अवसर प्रदान किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.2016 को कैम्प कोर्ट रामजी का गोल फांटा में प्राथमिक डिक्री जारी कर पत्रावली अंतिम रूप से निर्णित कर दी गई। विभाजन प्रस्ताव अपीलांटगण की बिना जानकारी में लाये तैयार किये गये तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री जारी की गई। विभाजन प्रस्ताव एकपक्षीय तैयार किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सूचना नही दी गई एवं तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर नहीं जाकर अपने अधीनस्थ कर्मचारी भू. नि. व हल्का पटवारी को विभाजन हेतु नियुक्त कर दिया गया। विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तैयार नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 की धारा 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गया। इसके बावजूद भी 19.07.2016 को डिक्री पारित कर दी गई जो कि न्यायोचित नहीं है। यह बंटवारा **By Metes & Bounds** के आधार पर नहीं किया गया है। अपने कथन के समर्थन में वकील अपीलांट द्वारा निम्नलिखित दृष्टांत पेश किये :–

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

RRT 2011-12(Supp.) RRT 698
RRT 2016(1) Page 87
RRT 2015(2) Page 813
RRT 2014(1) Page 258
RRT 2012(1) Page 177
RRT 2010(1) Page 216
RRT 2005(1) Page 588
RRT 2002(1) Page 648
RRT 2004(1) Page 374
RRT 2002(1) Page 53
RLW 2013(1) Page 268
RRD 1986 Page 226
CCC 2011(1) Page 661

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट की विभाजन प्रस्ताव एवं अंतिम डिक्री पर आपत्तियों को सुना। वकील अपीलांट ने अपीलाधीन निर्णय के अधीन विवादित भूमि के खसरा संख्या 107 एवं 122 के संबंध में किये गये विभाजन पर आपति की है कि विभाजन करते वक्त सड़क पर उभयपक्ष को समान रूप से भूमि का रकबा विभाजन में नहीं दिया गया है। शेष खसरा संख्या के संबंध में हुए विभाजन पर उन्होनें कोई आपति नहीं जताई और उसे स्वीकार कर लिया।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पूर्व में नहीं थी। अपीलांट संख्या 1 की पत्नी ज्यादातर बीमार रहती है तथा अभी कुछ समय से अपीलांट संख्या 1 व उसका परिवार अपीलांट की पत्नी के इलाज हेतु बाहर रहे हैं। वर्तमान में जब उतरदाता संख्या 1 के द्वारा अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटगण के कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करने व जबरन तारबन्दी करने लगा तब अपीलांटगण द्वारा मना करने पर नही माना। तथा कथन किया गया कि उक्त भूमि उसको न्यायालय की डिक्री से मिली है। जिस पर अपीलांटगण द्वारा वकील नियुक्त कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

जानकारी प्राप्त की तब उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अधिवक्ता मुकर्रर कर नकले दिनांक 21.04.2017 को मांगी। जो दिनांक 21.04.2017 को प्राप्त हुई। तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन तथा विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि खसरा संख्या 107 एवं 122 का विभाजन युक्तियुक्त ढंग से समान रूप में नहीं किया गया है जिसे यथावत रखा जाना न्यायसंगत नहीं है। शेष खसरों के विभाजन को उभयपक्ष द्वारा स्वीकार कर दिये जाने के कारण यथावत रखा जाना उचित है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19.07.2016 को खसरा संख्या 107 एवं 122 के संदर्भ में अपास्त किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है कि वह ग्राम मौखावा खुर्द के खसरा संख्या 107 एवं 122 का दोनों खसरों के मध्य से गुजरती सड़क के लम्बवत उभयपक्ष में विभाजन इस प्रकार किया जावे कि सड़क पर दोनों को समान रूप से क्रमशः 0.06 बीघा एवं 16.01 बीघा भूमि उपलब्ध हो जावे। आदेश की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में पुख्ता तरमीम की जाकर पालना पठाई जावे।

11/3/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 11.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner